प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2016**

विषयः- उद्यान विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं (एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के उपघटक राज्य औद्यानिक मिशन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन योजना) में परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 9576/2015-16 तथा 9336/2015-16 दिनांक 18.12.2015 एवं पत्र सं0-12216 दिनांक 15.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त **श्री राज्यपाल** उद्यान विभाग की निम्नवत् योजनाओं के संबन्ध में परिवर्तित **फण्डिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं**:-

(1) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन)

प्रदेश में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कुल बजट का 85 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार तथा शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के आरम्भ में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश का फण्डिंग पैटर्न 50:50 प्रस्तावित किया गया। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-32/पी.एस.ओ./एफएस/2015 दिनांक 28.10.2015 के अनुक्रम में हार्टीकल्चर डिवीज़न, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ.न0.11-42/2015-हार्ट दिनांक 10.11.2015 द्वारा फण्डिंग पैटर्न को पुनः परिवर्तित करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 संशोधित किया गया।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-10 एवं अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को प्रदेश में संचालित राज्य औद्यानिक मिशन योजना के संशोधित फ फण्डिंग पैटर्न (केन्द्रांश 60%-राज्यांश 40%) के अनुसार व्यय किया जायेगा। लाभार्थियों की पात्रता कार्ययोजना में उल्लिखित कार्यक्रमों में गाइडलाइन्स में दिये गये विवरण के अनुसार होगी। लाभार्थी कृषकों को दी जाने वाली राज्य सहायता वार्षिक कार्य-योजना में उल्लिखित कार्यक्रमों में अंकित विवरण के अनुसार होगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) <u>केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक 'पर ड्राप मोर क्राप'-माइक्रो इरीगेशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में:-</u>

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 तक नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन के रूप में केन्द्र पोषित योजना लागू रही। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में नेशनल मिशन फार सस्टेनेबुल एग्रीकल्चर योजना लागू की गई जिसमें माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम को संविलीन किया गया जिसे पुन: वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक 'पर ड्राप मोर क्राप' में संविलीन करते हुए क्रियान्वित किया जायेगा।

3- लाभार्थी कृषकों को दी जाने वाली राज्य सहायता का विवरण : भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 60:40 के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान को सम्मिलित करते हुए निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष डी.पी.ए.पी. क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को 60 प्रतिशत् तथा अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत् एवं गैर डी.पी.ए.पी. क्षेत्र में लघु सीमान्त कृषकों को 45 प्रतिशत् एवं अन्य कृषकों को 35 प्रतिशत् राज्य सहायता अनुमन्य किया गया। राज्य सरकार द्वारा माइक्रोइरीगेशन योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक ग्राह्य बनाये जाने एवं कृषकों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 3434/58-2012-150/2012 दिनांक 18.12.2012 द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को 40% एवं सामान्य कृषकों को 35% राज्यांश अनुदान दिये जाने की व्यवस्था 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित किया गया। उसी निर्धारित राज्यांश अनुदान की व्यवस्था को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के **'पर ड्राप मोर क्राप'-माइक्रो इरीगेशन योजना में यथावत लागू रखते हुए शेष धनराशि अतिरिक्त टाप अप के रूप में अनुमन्य करायी जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान के अतिरिक्त डी0पी0ए0पी0 क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को 16 प्रतिशत एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को 17 प्रतिशत तथा गैर डी0पी0ए0पी0 क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को 22 प्रतिशत एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को 21 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश टापअप के रूप में अनुमन्य होगा, जिसका विवरण निम्नवत है:-**

क्र. सं.	श्रेणी/जनपद	लाभार्थी श्रेणी	लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान					लाभार्थी अंश
			केन्द्रांश (60%)	अनिवार्य राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (टाप अप)	कुल राज्यांश अनुदान (5+6)	कुल अनुदान (4+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डी.पी.ए.पी/ डी.डी.पी. क्षेत्र	लघु एवं सीमान्त कृषक	36%	24%	16%	40%	76%	24%
		गैर लघु एवं सीमान्त कृषक	27%	18%	17%	35%	62%	38%

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2	नान डी.पी.ए.पी/ डी.डी.पी. क्षेत्र	लघु एवं सीमान्त कृषक	27%	18%	22%	40%	67%	33%
		गैर लघु एवं सीमान्त कृषक	21%	14%	21%	35%	56%	44%

4- इस प्रकार अनुदान संख्या-10 एवं अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि केन्द्रांश एवं राज्यांश को उक्त तालिका में अंकित विवरण के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान, टापअप सहित दिया जायेगा। लाभार्थी अंश लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

5- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक 'पर ड्राप मोर क्राप' (माइक्रो इरीगेशन) के ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में डी.बी.टी. प्रक्रिया लागू करने के सम्बन्ध में:-**

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 'पर ड्राप मोर क्राप' (माइक्रो इरीगेशन) में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) प्रक्रिया निम्नानुसार लागू होगी :-

(1) वित्तीय वर्ष 2015-16 में आफ लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें लाभार्थी कृषक के रूप में जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 से आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल तैयार कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे और प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर उपयुक्तता के अनुसार सूचीबद्ध करते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से अपने बैंक खाते/ऋण खाते में प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

(4) लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए तद्नुसार उपर्युक्त दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या:18/2016-817/58-2016, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, कृषि सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली।
3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
10- गोपन अनुभाग-1
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
14- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
15- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
16- समस्त संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिस्ट्रस विशेषज्ञ, उ0प्र0।
17- समस्त उपनिदेशक, उद्यान उत्तर प्रदेश।
18- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in